

न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.)

पीठासीन अधिकारी

अक्षय गोदारा
आई.ए.एस.

मिसल संख्या
मैनुअल नं.15/प्रा.पत्र/2024
(GCMS No. 2024 / 21)

तारीख दायरा
30.01.2024

तारीख निर्णय
12.08.2024

राजस्थान सरकार जरिये
तहसीलदार, के.पाटन (जिला बून्दी)

— प्रार्थी

बनाम

लटूर, फूलचंद, पोखर, बरजू, मोहन पि. रूपा, कस्तुरी बेवा रूपा,
दाखा, केली पुत्रिया रूपा जाति रेगर,
निवासी ग्राम गेण्डोलीखुर्द की झौपडिया, तहसील के.पाटन
हाल तहसील रायथल, जिला बून्दी (राज.)

— अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित—

प्रार्थी की ओर से परोकार सरकार।
अप्रार्थीगण के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।

निर्णय

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण के पिता/पति को किये गये भूमि
आवंटन खसरा सं. 927/3 रकबा 10 बीघा 07 बिस्वा वाकेग्राम गेण्डोली खुर्द
आवंटन आदेश दिनांक 10.11.1975 को निरस्त किये जाने हेतु कृषि प्रयोजनार्थ
भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है।
संलग्न नकल जमाबंदी संवत् 2075 से 2078 के अनुसार अप्रार्थीगण उक्त
आराजी पर गैर खातेदार दर्ज रेकार्ड है।

अति.जिला कलक्टर (सीलिंग) बून्दी से क्षेत्राधिकार अनुसार प्रार्थना पत्र
हस्तांतरित होकर प्राप्त होने पर पंजिका क्रमांक 15/2024 पर दर्ज रजिस्टर
किया जाकर GCMS No.2024/21 ऑनलाईन इन्द्राज किया गया। अप्रार्थीगण
एवं उनके अधिवक्ता के बावजूद सूचना नियत पेशियों पर उपस्थित न्यायालय
नहीं आने से प्रकरण में एकपक्षीय सुनवाई की गई।

तत्पश्चात बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

अक्षय गोदारा
जिला कलक्टर, बून्दी



परोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि मुलाबिक रिपोर्ट हल्का पटवारी आवंटी का आवंटित भूमि पर कब्जा काशत नहीं है। आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं किये जाने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आवंटी के पक्ष में किया गया उक्त आवंटन निरस्त किया जाकर भूमि सिवायचक दर्ज रेकार्ड किये जाने का अनुरोध किया गया।

न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया एवं बहस उभयपक्ष पर मनन किया। जिससे प्रकट है कि रूपा वल्द तारा जाति रेगर निवासी गण्डोलीखुर्द को दिनांक 10.11.1975 को भूमि ख.सं. 927/3 रकबा 10 बीघा 07 बिस्वा वाकेग्राम गण्डोलीखुर्द का आवंटन किया गया था। आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं किये जाने से उक्त आवंटन निरस्त किये जाने हेतु तहसीलदार द्वारा प्रकरण अन्तर्गत भूमि आवंटन नियम 14(4) पेश किया है। पत्रावली पर उपलब्ध ग्राम गण्डोलीखुर्द की झौपडिया की नकल जमाबंदी संवत् 2075-2078 के अनुसार भूमि ख.सं.415.416.417.419.470.471 कुल रकबा 1.68 हैक्टेयर पर अप्रार्थीगण गैर खातेदार दर्ज रेकार्ड है। पत्रावली पर उपलब्ध मौका रिपोर्ट हल्का पटवारी अनुसार भूमि ख.सं.415,416, 417,419, 470,471 कुल रकबा 1.68 हैक्टेयर पर अप्रार्थीगण का कब्जा काशत नहीं है। खसरा गिरदावरी संवत् 2076 के अनुसार भी उक्त भूमि पड़त पड़ी हुई है। कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(3) के अधीन यह शर्त है कि आवंटी को आवंटन के पश्चात आवंटित भूमि पर प्रथम वर्ष में 50 प्रतिशत भाग पर तथा शेष भाग पर द्वितीय वर्ष काशत करना आवश्यक है। प्रकरण में आवंटी के वारिसान का आवंटित भूमि पर कब्जा काशत नहीं होने से आवंटन की शर्तों का उल्लंघन होना प्रमाणित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर आवंटी का आवंटित भूमि पर कब्जा काशत नहीं होने से एवं आवंटन शर्तों की पालना नहीं किये जाने से उक्त भूमि के आवंटन को अस्तित्व में रखे जाने का कोई औचित्य नहीं है। फलस्वरूप प्रार्थनापत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी रूपा वल्द तारा जाति रेगर निवासी गण्डोलीखुर्द को किया गया भूमि आवंटन ख.सं. 927/3 रकबा 10 बीघा 07 बिस्वा (हाल ख.सं. 415.416.417.419.470.471 कुल रकबा 1.68 हैक्टेयर) वाकेग्राम गण्डोलीखुर्द की झौपडिया दिनांक 10.11.1975 निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार रायथल को आदेश दिये जाते है कि उक्त भूमि को कब्जा राज लेकर राजस्व रेकार्ड में सिवायचक दर्ज करे। पत्रावली फैसले में शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर करवाई जावे।

आदेश आज दिनांक 12.08.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अक्षय गोदारा)
जिसा कलक्टर बूंदी

